राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3389/2023

जगदीश सिंह जाखड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डंपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर जिला परिषद, सीकर में कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, सरदारशहर, जिला चूरू में किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2797/2023 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2023 को स्थगन आदेश जारी करते हुए समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए। अधिकरण के उक्त स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी दिनांक 08.10.2023 को कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ, परंतु अपीलार्थी को आज तक कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। इसलिए अपीलार्थी को अनुलग्नक–3 की पालना में कार्यग्रहण कराया जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2023 की पालना में जिला परिषद, सीकर में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण कराया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को कार्यग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2023 को विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.10.2023 पर स्थगन आदेश जारी किया था तथा स्थगन आदेश के प्रभावी रहने के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को जिला परिषद, सीकर में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाना स्थगन आदेशों की अवहेलना है। इसलिए न्यायहित में उक्त अपील में हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर अपीलार्थी को स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2023 की पालना में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करवावें तथा स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2023 की पालना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से मय स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य